प्रतिवेद्य

भारतीय उच्चतम न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

<u>आपराधिक अपील संo.1143 सन् 2019 से उद्धृत</u>**

(एसएलपी (क्रि.)सं.1273 सन् 2019 से उद्धृत)

विजय पाण्डेय अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति, नवीन सिन्हा</u>

अपीलार्थी ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनयम, 1985 (एतस्मिनपश्चात् "एनडीपीए एक्ट" से संदर्भित) की धारा 8 और 15 के अन्तर्गत अपनी दोषसिद्धि , और 15 वर्षो की सजा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 के तहत 1,50,000 रू के जुर्माने को चुनौती दी है ।

2. अपीलार्थी के बारे में यह कहा गया है कि वह अपने दाहिने हाथ में आटे का प्लास्टिक थैला लिए था जिससे 10 किलोग्राम अफीम बरामदगी की गयी। विवेचना में मुहल्ले के किसी भी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्वतंत्र गवाह को शामिल नही किया गया था और सभी गवाह केवल पुलिस अधिकारी हैं।

3. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने झूठे फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला उसे गिरफ्तार कर लिया गया । आवासीय इलाके में किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुउपलब्धता के लिए स्पष्टीकरण नही है। एनडीपीएस अधिनिय की धारा 50 का गैर-अनुपालन हुआ है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि अदालत में प्रस्तुत नमूना वही था जो अपीलार्थी से जब्त किया गया था।

4. राज्य के विद्वत अधिवक्ता ने बताया कि अपीलीर्थी के पास एनडीपीएस अधिनिय के तहत दो सजाओं का पिछला इतिहास है, और वह आदतन अपराधी है। धारा 50 का अनुपालन किया गया है। विचारण न्यायालया ने अपनी संतुष्टि दर्ज की कि अदालत में प्रस्तुत नमूना अपीलार्थी से जब्त किया गया था। किसी भी सूरत में इसने अपीलार्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नही हुआ है ।

5. हमने संबधित तर्को पर विचार किया। जब्ती अपीलार्थी के दरवाजे पर सुबह 6.40 बजे हुई। हमारे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक ग्रामीण इलाके में, पुलिस को एक भी स्वतंत्र गवाह नही मिला। ऐसे किसी भी व्यकित के नाम का उल्लेख नही किया गया है जिसने गवाह बनने से इंकार कर दिया हो। उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत जांच और जब्ती के समय तैयार किए जाने वाले वसूली मेमो की अनुपस्थिति के बावजूद यह मत व्यक्त किया है कि इसके लिए पुलिस गवाह का बयान पर्याप्त अनुपालन था। हालांकि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी , लेकिन अपीलार्थी से कथित रूप से जब्त किए गए नमूने की पहचान अभियोजन द्वारा न्यायालय में निर्णायक रूप से स्थापित नही की गई थी।

6. आरोपी ने अदालत में पेश किए गए नमूने के बारे में आपत्ति जताई थी, कि वह उससे जब्त नही किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि "उत्तर प्रदेश के मलखान दयनीय स्थिति में थे और अजीब और आपत्तिजनक बात आँखों के सामने आती हैं "। प्रस्तुत किया गया प्लास्टिक का पैकेट बहुत कम गुणवत्ता का था और आरोपी के नाम को लिखने में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही की गुणवत्ता निर्णायक नहीं थी और समय बीतने के साथ मिट सकती थी। बहरहाल, चूंकि गवाहों द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गये थे, इसलिए प्रस्तुत किये गये नमूने का अपीलार्थी से जब्त किया गया होना स्थापित करने में असफलता का कोई मतलब नही था । दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नही किया। पहले की दोषसिद्धि का तथ्य, सजा के उद्देश्य के लिए प्रांसगिक हो सकता है लेकिन स्वयं में दोषसिद्धि के लिए आधार नही हो सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. **मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य,** AIR 2018 SC 3853 में, यह धारित किया गया:

> "10. आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त के विपरीत कि कोई अभियुक्त निर्दोष माना जाता है जबतक कि दोषी साबित नही होता, एनडीपीएस अधिनिय की धारा 35 और 54 के अन्तर्गत सबूत का प्रति भार धारित करती है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि जिस क्षण आरोप लगाया गया और FIR विधिक प्रावधानों के अनुरूप पायी गयी जिससे की बरामदगी की गई उसी समय बिना अभियोजन के इससे कुछ अधिक स्थापित या सिद्ध किये, सबूत का भार अभियोजन से आरोपित व्यक्ति पर स्थानान्तरित हो गया। यह उपधारणा वाद योग्य है । धारा 35(2) यह उपबन्ध करती है कि यदि कोई तथ्य तर्क संगत संदेह के परे मात्र प्रायिकता की संभावना नही, सिद्ध किया गया हो, तो उसे सिद्ध हुआ मान लिया जाता है। एनडीपीएस अधिनिय का कठोर प्रावधान जैसे की धारा 37, न्यूनतम सजा 10 वर्ष, क्षमा के किसी प्रावधान की अनुपस्थिति, तर्क संगत संदेह से परे अभियोजन द्वारा प्रथम दृष्टतया वाद स्थापित करने कि आवश्यकता से संगत नही हैं, जिसके बाद ही सबूत का भार आरोपित व्यक्ति पर स्थानान्तरित होगा। अभियोजन के वाद को मात्र प्रायिकता के आधार पर नही छोड़ा जा सकता।"

8. वर्तमान मामले में जब्त किए गये नमूने को अपीलार्थी से जब्त किया जाना स्थापित करने में अभियोजन की विफलता, जब्त किए नमूने को प्रस्तुत करने में विफलता से अलग नही है। इन परिस्थितियों में प्रयोगशाला रिपोर्ट को मात्र प्रस्तुत करना कि परीक्षण किया गया नमूना, मादक पदार्थ था, स्वयं में निर्णायक प्रमाण नही हो सकता है। जब्त किये गए नमूने और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परीक्षित किये गये नमूने को सह-संबंधित होना चाहिए। **विजय जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** (2013) 14 SCC 527, के मामले में किया गया निम्म अवलोकन प्रासंगिक माना गया:

> "10. दूसरी ओर, जितेन्द्र के मामले में न्यायालय के इस फैसले को पढ़ने पर, हम यह पाते है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए विचारण में, अभियोजन पक्ष के लिए पुख्ता सबूतों के साथ यह स्थापित करना आवश्यक था कि अभियुक्तों के कब्जे से तस्करी माल की कथित मात्रा बरामद की गयी और इस तथ्य को साबित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत विचारण के दौरान जब्त की गई सामग्री को वस्तुपदार्थ के रूप मे प्रस्तुत करना होता है । और जहां कथित रूप से जब्त किया गया तस्करी माल प्रस्तुत नही किया जाता और तस्करी माल प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नही है, केवल मौखिक साक्ष्य कि सामग्री आरोपी से जब्त की गई थी, एनडीपीएस अधिनिय के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नही होगी, खासकर जब पंच गवाह पक्षद्रोही हो गये हों । पुनश्च, अशोक(उक्त) के मामले में, इस अदालत ने पाया कि अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया कथित नशीला पाउडर, पदार्थ प्रदर्श के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था और इसे न प्रस्तुत करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था और इस अदालत ने माना कि फारेंसिक रिपोर्ट को उस पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य नही था जो अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया था।

9. **अशोक उर्फ डंगरा जयसवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** (2011) 5 SCC 123, के मामले में यह धारित किया गया:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

> " 12. अन्तिम, लेकिन कम नहीं, अपीलार्थी सहित आरोपी के कब्जे से जब्त किया कथित नशीला पाउडर विचारण न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रदर्श के रूप में कभी भी प्रस्तुत नही किया गया और पुन: इसके न प्रस्तुतिकरण का कोई स्पष्टीकरण नहीं है । इसलिए फारेंसिक रिपोर्ट को उस पदार्थ से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य नही था जो अपीलार्थी या अन्य आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया था।"

10. इसलिए, हम अपीलार्थी की सजा को बरकरार रखने में असमर्थ है। विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना और उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरकरार रखना संवहनीय नहीं है और तद्नुरूप अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है। उसे अन्य मामले में वांछित न होने पर तक रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

11. अनुमति प्रदान की जाती है।

.....न्यायमूर्ती, अशोक भूषण

.....न्यायमूर्ती, नवीन सिन्हा

नई दिल्ली

30 जुलाई 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।